न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार
निवासी एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर
GCMS No-2023/67

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.3.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. दिनांक 6.9.2017 को आवेदन किया था जिसमे वर्ष 2001,2003 को रामलीला मैदान खण्डार की मतदाता सूची मांगी गयी थी जिसमे आपके द्वारा 30 दिवस की अवधि मे सूचना उपलब्ध क्यो नही करवायी गयी थी। 2. माननीय न्यायालय मे आपके द्वारा फाईल नम्बर 18373/19 मे पेज नं. 66 पर 4.1.2019 को कौनसे दस्तावेज दिये थे। 3. माननीय न्यायालय मे रिट नम्बर 18373/19 मे आपके द्वारा हल्फनामा दायर किया था जिसमे रिट पेज संख्या 67 पर दिनांक 6.9.2017 को पिटिशनर द्वारा दिया गया आवेदन क्यो रखा गया है। 4. माननीय न्यायालय मे रिट संख्या 18373/19 मे आपके द्वारा अंतिम बार दिनांक 8.2.2022 को एफिडेविट पेश किया था जिसमे वृन्दावन मथुरिया गांव तलावडा की 2003 की मतदाता सूची क्यो दी गयी थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/616 दिनांक 18.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 से संबंधित सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार (निर्वाचन) के कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध मे उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 613 दिनांक 17.7.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना सें संबंधित रिकार्ड उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। परन्तु रिट संख्या 18373/19 मे उपजिला कलेक्टर [illegible] 4.9.2017 एवं 8.2.2022 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजा[illegible]णित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता [illegible] की जाकर उपजिला कलेक्टर खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 की सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फै[illegible]मार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभि[illegible] की जावे। आदेश [illegible]न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:38:28 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर